न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 45/2025 बउनवानी राजेश कुमार **बनाम** जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर
पुत्र देवनारायण शर्मा निलंबित राशन डीलर खण्डार तहसील खण्डार

GCMS No-2025/ 141

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं. व तारीख जो हुकम की तामील में जारी हुआ
9.7.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 22.4.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ.17(9)खा.वि./न्याय/2012 दिनांक 23.8.2016 की प्रमाणित प्रति एवं जिलें मे निलंबित उचित मूल्य दुकाने जो 6 माह से एक ही उचित मूल्य दुकानदार के अटैचमेंट लगी हुई है की प्रमाणित सूचना* " जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकः सूचना का अधिकार/2025/1443 दिनांक 23.6.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 22.04.2025 मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण यथा पत्रावली संख्या,विषय, आदेश दिनांक इत्यादि अंकित नही के कारण अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। उक्त संबंध में अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 1442 दिनांक 23.6.2025 से वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 22.4.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना मे से जिलें मे अटैचमेंट दुकानों की सूची अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना उचित समझते है। खाद्य विभाग के पत्र दिनांक 23.8.2025 की प्रमाणित प्रति अपीलान्ट खाद्य विभाग राज0 जयपुर से प्राप्त कर सकता है। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी के निर्देशित किया जाता है कि जिलें मे अटैचमेंट दुकानों की सूची अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) ज़िला कलेक्टर सवाई माधोपुर Signature Not Verified Digitally signed by Kana Ram Date: 2025.10.21 15:32:27 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with OKEN Scanner